फोन नं0—05442—245381

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बथुआ गाँधीघाट नकहरा रोड, मीरजापुर।
Email Id- jalnigam3@gmail.com Mo. No.- 9473942677

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड—2, लो0नि0वि0,
मीरजापुर।

पत्रांक 5441 / लेदुकी पे० यो० / 204 दिनांक 16/9/022
सन्दर्भः— आपके पत्र संख्या 1635 / अनापत्ति दिनांक 27.07.2022

विषयः— लेदुकी ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत रोड कटिंग के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक लेदुकी ग्राम समूह पेयजल योजना का कार्य जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। उक्त फर्म के पत्र संख्या GVPR/Leduki/2022-23/035 Date 16.09.2022 द्वारा लेदुकी ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत रोड कटिंग हेतु बैंक गारण्टी संख्या GD3GPGE222515003 Date 08.09.2022 Canara Bank का रू0 1655658.00 मात्र संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पेयजल योजना पर रोड कटिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराया जा सकें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(संदीप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
2. श्री श्यामवचन, सहायक अभियन्ता।
3. टीम लीडर (पी0एम0सी0), थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा0लि0, मीरजापुर।
4. जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्य लिमिटेड, लेदुकी ग्राम समूह पेयजल योजना, मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता

संदीप सिंह
अधिशासी अभियन्ता
अभाव खण्ड, उ० प्र० जल निगम
मीरजापुर

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

Phone No
Sold To/Issued To:
S Sanjay Gupta
For Hon'ble Proof
Canara Bank

भारत INDIA

₹ 0000200/-

BANK GUARANTEE

To **The Executive Engineer** **Construction Division -2** **Public Works Department** **Mirzapur-231 001** **Uttarpradesh**	**BG No.** GD3GPGE222515003 **Date :** 08.09.2022 **BG Amount : INR 16,55,658/-** **Validity up to : 02.09.2023**

WHEREAS, **M/s GVPR Engineers Limited** having Registered Office at 8-2-293/82/A, Plot No. 739-A, Road No. 37, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, Telangana, India (hereinafter called "the Licensee") has undertaken to execute the **"Construction of Leduki Group of Villages Water Supply Scheme, District- Mirzapur (Based on Surface Water) and relevant works including Commissioning and Operation & Maintenance for 10 Years"** and whereas it has been stipulated by you in the said permission letter that the licensee shall furnish you with a Bank Guarantee by scheduled Bank of India for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the **"Permission for laying of pipe line works for Leduki Group of Villages scheme and crossings wherever required"** whereas M/S GVPR Engineers Limited, have agreed to give licensor such a Bank Guarantee.

Now thereof we **Canara Bank** a Scheduled Commercial Bank having one of its branches at Special Mid Corporate Branch Secunderabad, D.No. 5-2-69/3, Kandala Plaza, Near Arya Samaj Building, Bible House, R.P. Road, Secunderabad -500 003, Telangana (hereinafter called "the Bank") hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you on behalf of the licensee upto a total of INR 16,55,658/- (Indian Rupees Sixteen Lakhs Fifty Five Thousand Six Hundred and Fifty Eighty only) such sum being payable in the types and proportions of currencies in which price of laying pipe line is payable and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sums within the limits of INR. 16,55,658/- (Indian Rupees Sixteen Lakhs Fifty Five Thousand Six Hundred and Fifty Eight Only) of as aforesaid without your needing to prove or to show grounds , reasons for your demand for the sum specified therein.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the licensee before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of laying pipeline or of the works to be performed there under or of any of the documents for laying pipeline which may be made between you and the licensee shall in any way release us from our

कृते केनरा बैंक
For CANARA BANK
अधिकारी Officer
SPECIALISED MID CORPORATE BR.
R.P. Road, Secunderabad-500003.

कृते केनरा बैंक
For CANARA BANK

संदीप सिंह
अधिशासी अभियन्ता
अभाव खण्ड, उ० प्र० जल निगम
मीरजापुर

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

CD2, लोक निर्माण विभाग , MIRZAPUR

प्रमाणपत्र क्रमांक : UPPWD/2022-2023/10010164 दिनांक:-31/05/2022

सेवा में,

GVPR ENGINEERS LIMITED
Nibi Gahawar,MIRZAPUR,231003

विषयः- लालगंज कलवारी मार्ग पर Water Pipeline डालने हेतु अनुमति के सम्वन्ध में।

सन्दर्भः- आवेदन क्रमांकः-PWD10010164

महोदय,

क्र० सं०	[illegible]	कटिंग की जाने वाली मार्ग की चैनेज/स्थल का विवरण	कटिंग की जाने वाली सतह का प्रकार	[illegible]	[illegible]
1	लालगंज कलवारी मार्ग	Kaccha Part	33.882-33.883	6	M^2
2	लालगंज कलवारी मार्ग	Interlocking Tiles	0.0000-0.0000	0	M^2
3	लालगंज कलवारी मार्ग	SDBC	0.0000-0.0000	0	M^2
4	लालगंज कलवारी मार्ग	BC	33.882-33.883	10.5	M^2
5	लालगंज कलवारी मार्ग	Mastic Concrete	0.0000-0.0000	0	M^2

<u>शर्तें :-</u>

- कटिंग का कार्य मार्ग के मध्य भाग से कम से कम 13.00 मी० की दूरी अथवा कच्चे भाग में मार्ग की सतह से 1.50 मी० की गहरायी पर ही डाली जायेगी। इससे अधिक कार्य कदापि नहीं कराया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सहायक अभियन्ता को लिखित सूचना देनी होगी एव उक्त कार्य की ड्राईंग एवं सेक्शन तथा गहराई की जानकारी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को देनी होगी। रोड कटिंग का मलबा लेपित मार्ग पर एकत्रित न करके, कार्य इस प्रकार कराया जाये कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।
- सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय, जैसे बैरिकेडिंग, झन्डी, लालटेन आदि की व्यवस्था आप स्वयं करेंगे।
- यातायात के सुगम संचालन हेतु ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित कर कार्य कराना होगा कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- मार्ग के जंक्शन आदि पर यदि किसी अन्य विभाग / संस्था की भूमि पड़ती है तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।
- इस मार्ग पर अन्य विभागों की केबिल / पाइप लाइन आदि बिछी हो सकती हैं. कार्य इस प्रकार कराया जाये कि उन्हें कोई क्षति न पहुंचे। उन विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त करने एवं किसी प्रकार की क्षति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- वाटर, सीवर, गैस एवं बिजली आदि की लाईन पड़ने पर उसे कोई क्षति न पहुंचे। उन विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त करने एवं क्षति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- यदि भविष्य में मार्ग का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के कार्य में यदि पाइप लाइन / केबिल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा एवं पाइप लाइन / केबिल को स्वयं के खर्च पर स्थानान्तरित करायेगा।
- कार्य इस खण्ड के सहायक अभियन्ता की देख-रेख में इस प्रकार सम्पन्न कराया जाये जिससे लोक निर्माण विभाग के मार्ग को कसी प्रकार की क्षति न हो, अन्यथा कि स्थिति में सभी प्रकार की क्षति की भरपाई आपसे कि जायेगी।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आई०जी०एल० अथवा नेचुरल गैस विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी कि निर्माण कार्य करते समय आई०जी०एल० अथवा नेचुरल गैस की पाइप लाइन को किसी प्रकार की क्षति न हो। यदि आई०जी०एल० की पाइप लाइन को किसी प्रकार की क्षति होती है तो भारत का राजपत्र में वर्णित The petroleum and natural gas regulatory board act 2006 Dt. 31-05 06 में वर्णित किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। मार्ग पर दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन अथवा किसी अन्य विभाग की लाइनें अगर हों तो उनसे एन०ओ०सी० प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य सम्पादित कराया जाये।
- उपरोक्त कार्य को करने हेतु यह अनुमति अधिकतम तीन माह (अनुमति जारी होने की तिथि से) के लिए मान्य होगी। यदि किसी कारणवश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं कराया जाता है तो उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से अलग से निर्गत की जायेगी।
- आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र के अधीन कार्य करने पर वन विभाग से अपने स्तर से एन०ओ०सी० प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा।
- यह अनुमति मात्र आवेदन में अंकित मार्ग के चैनेज के लिए ही मान्य होगी।
- उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने की सूचना/प्रमाण पत्र आप चरण बार अधोहस्ताक्षरी को देंगे जिससे इसकी मरम्मत का कार्य चरण बार ही किया जा सकें। अगर विभाग द्वारा मरम्मत करने के पश्चात आप द्वारा मार्ग पर पुनः कार्य किया जाता है तो उसकी अनुमति अलग से लेनी होगी।
- एन०ओ०सी० जारी होने के उपरांत 7 दिन के भीतर कार्य प्रारम्भ करना तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित अवधि से लोक निर्माण विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा

संदीप सिंह
अधिशासी अभियन्ता
अभाव खण्ड, उ० प्र० जल निगम
मीरजापुर

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

- उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

Digitally Signed By
(MITHILESH KUMAR)
71FCECFA79CFAA9DD3409061B1D0DD2645A44F66
Date: 31/01/2022 [illegible] AM, Location: MIRZAPUR.
अधिशासी अभियन्ता,
CD2, लो०नि०वि०,MIRZAPUR

संदीप सिंह
अधिशासी अभियन्ता
अभाव खण्ड, उ० प्र० जल निगम
मीरजापुर

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

II

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(सोन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0,
वाराणसी।

पत्रांक नि- 399 /सोन/92बी-16डब्लू/एन0ओ0सी0 दिनांक- वाराणसी 12 अप्रैल-2022

विषय- लेढ्की ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत विभिन्त चैनेजों पर पाइप लाइन कैनाल क्रासिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः-आपका पत्रांक-539/ लेढ्की पे0यो0/11 दिनांक 07.02.2022

अधिशासी अभियन्ता अभाव खण्ड,उ0प्र0, जल निगम (ग्रामीण) बथुआ, गौंथी घाट नकहरा रोड, मीरजापुर।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लेढ्की ग्राम समूह पेयजल योजना के अर्न्तगत विभिन्त चैनेजों पर पाइप लाइन कैनाल क्रासिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत केये जाने की वॉछना की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 222/अनिम-8/यू0-6/ए-4/अनाप्पति दिनांक 11.04.2022 के क्रम में लेढ्की ग्राम समूह पेयजल योजना के अर्न्तगत सिरसी बरौधा फीडर के कि0मी0 1.200,5.100,5.793, समसदिया माइनर के कि0मी0 0.300,0.800 एवं चौधरी चरण सिंह पम्प कैनाल के कि0मी0 1.500,3.200,3.600,4.695 चैनेजों पर पाइप लाइन कैनाल क्रासिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1- प्रस्तावित कार्य के ले आऊट प्लान पर आपके सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर नाम, पदनाम, दिनांक व मोहर सहित स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर नाम, पदनाम, दिनांक व मोहर सहित स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय, ले आउट प्लान उपलब्ध कराने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को लिखित रूप से एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित करते हुए विभागीय अधिकारियों की देख-रेख में ही ले आउट तथा निर्माण कार्य का निस्पादन कराया जाय। अनुमोदित मानचित्र/कार्य योजना/ अनुबन्ध की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

2-सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की भूमि पर निर्माण के उपरान्त भूमि का स्वामित्व सिंचाई विभाग का ही होगा तथा भूमि का उपयोग कार्यदायी संस्था द्वारा मात्र उक्त कार्यो के संचालन के उद्देश्य की परिसीमा तक ही सुनिश्चित किया जायेगा।

3- VRB के Extended piller / Pedestal से ले जायी जाने वाली पाइप लाइनों को इस तरह से डाला जायें जिससे नहरों तथा नहरों पर पूर्वनिर्मित एवं निर्माणाधीन संरचनाओं को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। पूर्व में निर्मित Rodway की चौड़ाई यथावत रहे। साथ ही पाइप लाइन Laying के समय उचित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

4- कार्य कराते समय नहरों के बैंक/डौला/सर्विस रोड तथा नहर के परिकल्पित क्रॉस सेक्शन किसी भी दशा में क्षतिग्रस्त न किया जाये। यदि प्रस्तावित कार्य से किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी मरम्मत का व्यय कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

5-किसी भी समय नहर की क्षमतावर्धन तथा पुल की चौडीकरण का कार्य कराया जा सकता है। कार्य में गतिरोध पड़ने पर तत्काल विभागीय आवश्कतानुसार पाइप लाइन को शिफ्ट करना होगा। जिसका व्यय कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।साथ ही पाइप लाइन का कार्य नहर बन्दी अवधि में ही कराया जाय।

6-यदि नहरी स्ट्रचर पर पाइप लाइन से कही पानी आदि का लिकेज होता है तो उसे कार्यदायी संस्था को स्वयं के व्यय पर मरम्मत का कार्य कराकर लिकेज इत्यादि को बन्द कराना होगा।

7-कार्यदायी संस्था द्वारा पाइप लाइन Laying के समय आवागमन बाधित न हो। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ ही आपके द्वारा पाइप लाइन कार्य के अतिरिक्त कोई भी स्थाई कार्य न कराया जायें।

8- पाइप लाइन निर्माण के कार्य दौरान नहर में पानी के सतत् बहाव को अवरूद्ध न किया जाय एवं क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और न ही डाइवर्ट किया जाय। प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत नहर की तली अथवा बैंक पर तथा सिंचाई विभाग की जमीन पर कोई मलवा/अवरोध न छोडा जाय।

संदीप सिंह
अधिशासी अभियन्ता
अभाव खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम
मीरजापुर

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

9–नहरों के मूल प्राकृतिक स्वरूप तथा पैरामीटर में कोई बदलाव न किया जायें तथा प्रस्तावित कार्य से नहरों तथा नहरों पर पूर्व निर्मित एवं निर्माणधीन संरचनाओं (कुलाबों अन्य तकनीकी भाग इत्यादि) को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचायी जायें। यदि प्रस्तावित कार्य से किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी मरम्मत का व्यय आप को वहन करना होगा।

10– कार्य निर्माण के समय जन सुरक्षा के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षा उपायों के सारे मानको को ध्यान में रखते हुए कार्य कराया जाय। किसी भी अप्रिय स्थिति/ दुघटना के लिए किया गया क्लेम आपको वहन करना होगा। इसमें सिंचाई विभाग का कोई दायित्व नही होगा।

11–वित्तीय नियमों एवं प्रचलित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

12–यह अनापत्ति पाइप लाइन डालने की मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति है पाइप लाइन की तकनीकी साध्यता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें। इसमें सिंचाई विभाग का कोई उत्तरदायी नही होगा। साथ ही उक्त निर्माण कार्य पर प्रदान की गयी अनुमति अन्तरणीय नहीं होगी।

13–आपको प्राकृतिक सम्पदा, भूमि,जलवायु,वन,जल,वायु,वन्य जीव,वनस्पति,पर्यावरण परिस्थितिकी आदि सम्बन्धि अधिनियम/शासकीय आदेशों/निर्देशों/ मा0उच्च न्यायालय/मा0सर्वोच्च न्यायालय /राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा तथा सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

14–कार्यदायी संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों के विचलन किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इससे उत्पन्न किसी विषम परिस्थिति/जटिलता के लिए आप स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगे।

12.4.22

मुख्य अभियन्ता(सोन)
सिंचाई विभाग वाराणसी।
12-4-22

पत्रांक–नि–899 /सोन/92बी–16डब्लू/तदिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
2–मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (विन्ध्यांचल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3–मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4–अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, मीरजापुर।
5–अधिशासी अभियन्ता, सिरसी बॉध प्रखण्ड, मीरजापुर।

12.4.22

मुख्य अभियन्ता(सोन)
सिंचाई विभाग वाराणसी।
12-4-22

संदीप सिंह
अधिशासी अभियन्ता
अभाव खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम
मीरजापुर

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(सोन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0,
वाराणसी।
E-mail- ccsonevaranasi@gmail.com

अधिशासी अभियन्ता कार्यालय
डायरी क्रमांक : 1314
दिनांक : 18/03/2021

पत्रांक-नि- /सोन/92बी-16डब्लू/ एन0ओ0सी0/वाराणसी- दिनांक-08 मार्च/2021

विषयः-लेढुकी ग्राम समूह पाईप पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सिरसी बॉध में इन्टेक वेल बनाने हेतु NOC के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

उपरोक्त विषयक सिंचाई कार्य मण्डल, मीरजापुर के पत्रांक-698/सिकाममी/पेयजल/दिनांक-03.03.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी लघु सिंचाई खण्ड, सोनभद्र के पत्रांक-25/ल0सि0/ज0जि0 मिशन/2020-21 दिनांक-01.01.2021 के द्वारा लेढुकी ग्राम समूह पाईप पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सिरसी बॉध में इन्टेक वेल बनाने हेतु NOC की मॉग की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, मीरजापुर के आख्या के अनुसार दिनांक 16.02.2021 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया कि सिरसी बॉध वर्ष 1956 में निर्मित हुआ है, जिससे निकली सिरसी बरौंधा फीडर नहर के हेड स्लूस के पास नहर की पटरी से 30.00 मीटर दूर इन्टेक वेल के निर्माण हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया है परन्तु सिरसी बरौधा फीडर से लगभग 12.00 मीटर कटिंग में है तथा नहर पूर्ण रूप से रॉक फिसर्स में है, यदि इन्टेक वेल के निर्माण के समय सम्बन्धित कम्पनी/फर्म द्वारा ब्लास्टिंग की जाती है तो फिसर्स से सीपेज बढ़ने की प्रबल संभावना है तथा रबी फसल के सिंचाई के पश्चात् प्रायः ग्रीष्म ऋतु में बॉध में पानी का लेवल डी0एस0एल0 पर चला जाता है, जिससे पाईप पेयजल आपूर्ति बाधित हो सकती है। शासन के पत्र संख्या-31/2020/2658/ छिहत्तर-1-2020-40-सम/2020 दिनांक 28.12.2020 द्वारा लेढुकी ग्राम समूह पाईप पेयजल परियोजना के लिये दिशा-निर्देश/पारस्परिक सहमति प्रदान की गयी है।

अतः लेढुकी ग्राम समूह पाईप पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सिरसी बॉध में इन्टेक वेल बनाने हेतु NOC का प्रकरण मूलरूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश संख्या-1687/19-27-सिं0-4-50(डब्लू)/19 दिनांक 22.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रकरण मूलरूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।(मूलरूप में)

मुख्य अभियन्ता (सोन)
सिंचाई विभाग वाराणसी।

पत्रांक-नि0 439 /सोन/तदिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
2.मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (विन्ध्याचल) सिंचाई जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 प्रयागराज।
3.अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल मीरजापुर को, उनके पत्रांक -698/सिंकामंमी/पेयजल दिनांक 03.03.2021 के क्रम में।
4.निदेशक,बॉध सुरक्षा प्रकोष्ठ, डा0राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
5.अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी लघु सिंचाई खण्ड, सोनभद्र को उनके पत्रांक-25/ल0सिं0/मा0चि0/2021-21 दिनांक 01.01.2021 के सन्दर्भ में।
6.अधिशासी अभियन्ता, सिरसी बॉध प्रखण्ड, मीरजापुर।

मुख्य अभियन्ता (सोन)
सिंचाई विभाग वाराणसी।

संदीप सिंह
अधिशासी अभियन्ता
अभाव खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम
मीरजापुर

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner